संख्या–वे0आ0–2–386/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट ~~बाप~~ नाप विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट–माप विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट–माप विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) विधि माप विज्ञान विभाग निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान निर्धारित किया जाय। साथ ही निरीक्षक के पदों पर विभाग में उपलब्ध अन्य संवर्गो यथा लिपिकीय,आशुलिपिक तथा सांख्यिकीय आदि से पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधी भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित अर्हता के साथ शत प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था निर्धारित की जाये ।

(2) विभाग में उपलब्ध यांत्रिक पर्यवेक्षक के पद को निरीक्षक संवर्ग के साथ संविलीन कर दिया जाय।

(3) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद, जो निरीक्षक हेतु पदोन्नति का पद है, पर अनुमन्य वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– निर्धारित किया जाय। ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पदों

से पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए निरीक्षक के पद से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(4) सहायक नियंत्रक वर्ग–2 के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रु0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) अनुमन्य कराया जाये।

(5) उप नियंत्रक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर सहायक नियंत्रक वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के पद से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(6) पूर्व उप प्रस्तरों में समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के अनुसार संबंधित पदों का ढॉचा (पदनाम, वेतनमान, अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्नानुसार निर्धारित किया जाय :––

क0 सं0	पदनाम/दिनांक 01 जनवरी, 2006 के अनुसार पद संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	भर्ती का स्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	निरीक्षक/यांत्रिक पर्यवेक्षक/152	रू0 5000–8000 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–)	सीधी भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित अर्हता बनाये रखते हुए शत प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
2	ज्येष्ठ निरीक्षक/85	रू0 7450–11500 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले निरीक्षकों से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

3	सहायक नियंत्रक वर्ग–2/06	रू0 7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–)	50 प्रतिशत 05 वर्ष की सेवा वाले ज्येष्ठ निरीक्षकों से प्रोन्नति तथा 50 प्रतिशत सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि
4	सहायक नियंत्रक वर्ग–1/08	रू0 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–)	50 प्रतिशत 05 वर्ष की सेवा वाले ज्येष्ठ निरीक्षकों से प्रोन्नति तथा 50 प्रतिशत सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि
4	उप नियंत्रक/03	रू0 10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नियंत्रक के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा

(7) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहायक निबंधक वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600) के पद पर रू0 वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।

(8) समिति द्वारा पूर्व उप प्रस्तरों में की गयी संस्तुतियों के अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा विधिक माप विज्ञान विभाग के सम्बन्धित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(9) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा विधिक माप विज्ञान विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो पर वेतन समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होंगी।

(10) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा विधिक माप विज्ञान विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग के वेतनमान संशोधन/वेतन विसंगति का प्रस्ताव विशिष्ट रूप से समिति के संज्ञान में नहीं है।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—386 (1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।